



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2012/08.10.2012

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 09.11.2012

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 24.11.2012

महत्वपूर्ण

- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2012 (दोपहर 12.00) से 09.11.2012 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 19.10.2012 से 11.11.2012 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गीकरण संख्या				रिक्तियों में से वर्गीकरण मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				अनिवार्य शैक्षणिक अहता
		अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (Veterinary Assistant surgeon)	308	30	75 वैकल्पिक	198 वैकल्पिक	05	09	23	59	02	भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन रजिस्ट्रीकूट हो।

टीप-	(i)	आवेदक के पास उपर्युक्त अहताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अहताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।	आठ नौ	निर्धारित समस्त अहताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अहता की जांच स्वयं कर लें और अहता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनहं पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। अधिवार्पिकी आयु- 60 वर्ष
(ii)	शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।			
(iii)	चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ग की परिवीक्षा पर की जाएगी।			
(iv)	किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपर्युक्त महिला अध्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।			
(v)	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद हेतु किसी भी श्रेणी के विकल्पांग आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।			
दो	पद का विवरण-			
(अ)	पद का नाम : पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (Veterinary Assistant surgeon)			
(ब)	विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग			
(स)	श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी			
(द)	पद स्थिति : अस्थायी			
(इ)	वेतनमान : ₹ 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।			
(ज)	अनिवार्य अहता : भारत अथवा विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन रजिस्ट्रीकूट हो।			
(फ)	कर्तव्य : पशु चिकित्सा एवं पशुपालन			
तीन	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। 2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लियें।			
चार	आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 38 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।			
पांच	आयु संगणना तिथि 01.01.2013 होगी।			
	आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-1 देखें।			
	मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशायी संस्थाओं में कार्यरक्षण समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सेनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आक्रमिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।			
छ:	मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनहंता-			
अ.	कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया है, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।			
ब.	कोई भी उम्मीदवार जिसकी दी से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।			
	परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हैं तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।			
सात	महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए			

परिशिष्ट-

तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी। मध्यप्रदेश की शासकीय सेवक/निगम/मंडल तथा स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, परन्तु सभी प्रवर्ग की सेवारत महिला कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-3-10/2012/3/एक, दिनांक 30.08.2012 द्वारा अधिसूचित)

(3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीप- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है)

(4) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट 1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

(5) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप उसकी आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छंटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकूर्ट कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(6) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार।

“2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रेंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छ: मास की कालावधि तक सेवा की हो और (एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरिक्त किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरिक्त किये जाने का हकदार होने के लिये अंपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छ: मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।”

टीप- भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा “मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षण) नियम 1985” के संशोधनों के अध्यधीन रहेगी।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सर्वण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप- (1) के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट- उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (Veterinary Assistant Surgeon) के पद के लिये ऑनलाइन

आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
 1. www.mponline.gov.in
 2. www.mppsc.com
 3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोर्सकों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोर्सक पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोर्सकों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उहें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। एम.पी.ऑनलाइन अधिकृत KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले की आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष और संतरित एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुले वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 19.10.2012 से 11.11.2012 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार किया ज

12. आवेदन कर आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें। 13. आवेदक www.mponline.gov.in से ही आयोग कार्यालय में अपने आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी। 14. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। 2. आवेदन शुल्क (अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिए आवेदन शुल्क ₹ 30/- देय होगा। (ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 60/- देय होंगे। उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को ₹ 35/- पोर्टल शुल्क देय होगा।				--	--		मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क		₹ 30/-	₹ 60/-	उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 35/- अतिरिक्त देय होगा। आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के लिए अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोंकीधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.ऑनलाइन से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। **फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)** तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410 (द) **(यदि लिखित परीक्षा आयोजित होती है तो आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।)** **टीप-** आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :- 1. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा 2. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये। **नोट-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें :- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983 एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शॉपिंग माल, द्वितीय नल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 **फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)** तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410 3. आवेदन की अंतिम तिथि : (अ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **09.11.2012** है। अंतिम तिथि को रात्रि **12.00** के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी। (ब) स्वप्रमाणित सहपत्रों सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **24.11.2012 (सायं 5.30 बजे तक)** है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। 4. आवेदक आयोग को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें- आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो। शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां। अनुभव के प्रमाण पत्र : अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। **जाति के प्रमाण पत्र :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छ: माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अस्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रिति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें। तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ 5. संलग्न करना आवश्यक है। **परिशिष्ट-1 की कंडिका- (एक-3)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र। **परिशिष्ट-1 की कंडिका- (एक-4 से 06 तक)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। **परिशिष्ट-1 की कंडिका- (दो-1)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र। **परिशिष्ट-1 की कंडिका- (दो-2)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र। **परिशिष्ट-1 की कंडिका- (दो-3)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवर्तन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। 6. अनुशासनिक निर्देश : ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोपी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोपी पाया गया हो- 1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो, या 2. प्रतिरूपण किया हो, या 3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या 4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या 5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या 6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या 7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या 8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृद्धि को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या 9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या कर्मचारीवृद्धि द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिरिक्त प्रक्रिया किया हो, या 10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्घटवाहर, 11. उत्तर पुस्तिका परीक्षा के बाद वीक्षक को जमा न करते हुये अपने साथ ले गया हो। अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा- - (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या - (ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए- - (एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से, - (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा, और - (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्बाई जो जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि- - (एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और - (दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञाप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो। 7. अनर्हताएं- ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है। 8. यात्रा व्यय का भुगतान- 1. मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं है तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी है, को मध्यप्रदेश श